कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 01/2025 **दिनांक 10/01/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 09.01.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा एक अदद् तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तारः-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दुल्लहपुर पुलिस के द्वारा रात्रिगस्त के दौरान खास मुखबीर की सूचना पर एक व्यक्ति पिन्टू यादव पुत्र हरिकेश यादव नि0 धमरांव थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को देवा तिराहा में गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से एक अदद् तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 4/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम पिन्टू यादव पुत्र हरिकेश यादव नि0 धमरांव थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नाम पता अभियुक्त-

पिन्टू यादव पुत्र हरिकेश यादव नि0 धमरांव थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद् तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

01- अ0सं0247/20 धारा 147,323,504 भादवि थाना दुल्लहपुर
02- अ0सं0 206/21 धारा 323,504,506 IPC व 3(1)(द)(ध) SC/ST Act थाना भुड़कुड़ा
03- अ0 सं0 61/23 धारा 3/5/25 आमर्स एक्ट थाना दुल्लहपुर
04- अ0सं0 115/23 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना दुल्लहपुर
05- अ0सं0 04/25 धारा 3/25आमर्स एक्ट थाना दुल्लहपुर

02. थाना करण्डा पुलिस द्वारा अवैध 01 अदद देशी तमन्चा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.01.2025 को उ0नि0 बृजेश्वर यादव चौकी प्रभारी खिजिरपुर मय हमराही द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर जमानियां रोड लीलापुर नहर के करीब से अभियुक्त रितेश गिरि पुत्र गोपाल गिरि निवासी ग्राम हिमर्दोपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट की स्प्लेण्डर प्लस बरंग लाल व काला चेसिस नं. MBLHAW231R9A12115 बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना करण्डा गाजीपुर पर मु0अ0सं0- 07/2025 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रितेश गिरि पुत्र गोपाल गिरि निवासी ग्राम हिमर्दोपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-1.

01 अदद देशी तमन्चा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

02. एक अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट की स्प्लेण्डर प्लस बरंग लाल व काला चेसिस नं0 MBLHAW231R9A12115

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 007/2025 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम थाना करण्डा गाजीपुर
2. मु0अ0सं0- 60/2022 धारा- 323/504/506 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर
3. मु0अ0सं0- 236/2022 धारा- 323/504/506 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर
4. मु0अ0सं0- 243/2022 धारा- 323/504/506 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर

03. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र ग़ाज़ीपुर द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 01 परिवार की कराई गई विदाई।

आज दिनांक 09.01.2025 को कार्यालय महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र ग़ाज़ीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 ईरज राजा के कुशल निर्देशन में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 07 प्रकरण को सुना गया जिसमे काफी समय से विवादित चल रहे 01 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुला कर विदाई करवाई गई 02 प्रकरण में कुशलता प्रकट होने पर पत्रावली बंद कर दी गई, 04प्रकरण में अभी मध्यस्ता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में उप निरीक्षक शशिधर मिश्रा महिला मुख्य आरक्षी सुनीता गिरी महिला आरक्षी संध्या महिला आरक्षी रागिनी चौबे, आरक्षी शिव शंकर यादव काउंसलर सोनिया सिंह आदि लोग प्रमुख थे।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर